भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *41
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान

†*41. श्री ए. राजाः
श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिसम्बर माह में चेन्नई और इसके उप-नगरों तथा दक्षिण तमिलनाडु में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसानों तथा प्राकृतिक आपदाओं का आकलन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने आठ जिलों में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राहत कार्यों के लिए निधि जारी करने का अनुरोध किया है;
(घ) यदि हां, तो राज्य द्वारा कुल कितनी निधि का अनुरोध किया गया है और राज्य को अब तक कितनी आपदा राहत निधि जारी की गई है; और
(ङ) क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना के शीघ्र पुनरुद्धार के लिए राज्य द्वारा मांगी गई कुल निधि, अनुदान और केन्द्रीय सहायता कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *41 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्यों को उनके प्रयासों में मदद करने के लिए हर संभव लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि स्थिति से प्रभावकारी ढंग में निपटा जा सके। चक्रवात और बाढ़ समेत प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य सरकारें क्षति का आकलन करती हैं और अपने पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता, राहत के लिए, न कि दावा किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की जाती है।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1200.00 करोड़ रुपये की राशि (900.00 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश + 300.00 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का आवंटन किया गया है। 450.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश की पहली किस्त दिनांक 10.07.2023 को जारी कर दी गई थी। इसके अलावा, चक्रवात 'मिचौंग' के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, 450.00 करोड़ रुपये की एसडीआरएफ की दूसरी किस्त दिनांक 12.12.2023 को अग्रिम रूप में जारी कर दी गई । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 813.15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष होने की सूचना दी है। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में 2013.15 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

दिनांक 3 और 4 दिसंबर 2023 को चक्रवाती तूफान "मिचौंग" के साथ भारी वर्षा के कारण उत्तरी तमिलनाडु के चार जिले प्रभावित हुए। इसके बाद, 17-18 दिसंबर 2023 को भारी वर्षा के कारण, तमिलनाडु के चार दक्षिणी जिले बाढ़ और जलभराव से प्रभावित हुए।

हाल ही के मामलों में, तमिलनाडु राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा एक आईएमसीटी गठित कर दी गई थी, जिसने 11 से 14 दिसम्बर, 2023 तक राज्य के चक्रवाती तूफान

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *41, दिनांक 6.02.2024

'मिचौंग' से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य के दक्षिणी भाग में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के मामले में भी, गृह मंत्रालय द्वारा एक आईएमसीटी गठित की गई थी, जिसने नुकसान के आकलन के संबंध में 19 से 22 दिसम्बर, 2023 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से एक चक्रवाती तूफान 'मिचौंग' के लिए और दूसरा राज्य के दक्षिणी भाग में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के लिए है। ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात, आईएमसीटी ने नुकसान का मौके पर वास्तविक आकलन करने के लिए 11 से 14 जनवरी 2024 तक दक्षिणी तमिलनाडु के प्रभावित क्षेत्रों का पुनः दौरा किया। आईएमसीटी से रिपोर्टें प्राप्त होने पर, एनडीआरएफ के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

*****